उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
बी–2 ब्लाक, भूतल, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ

संख्या– ५५। रा0आ0प्र0प्रा0 / व0स0 / 2022–23 दिनांकः 17 अगस्त, 2022

प्रेषक,

लेo जनरल रविन्द्र प्रताप साही,एवीएसएम
उपाध्यक्ष,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

विषयः <u>उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी उ0प्र0 नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण SOP 2020 का तत्परता के साथ अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के सम्बंध में।</u>

महोदय,

अवगत कराना है कि दिनांक 11 अगस्त 2022 को जनपद बांदा में हुई नाव दुर्घटना के कारण नाव में सवार कुल 32 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गयी, 02 लोग अभी तक लापता है तथा 17 लोगो को बचाया जा सका है। इस दुर्घटना पर माननीय मुख्यमंत्री, उ0प्र0 द्वारा दुख व्यक्त किया गया तथा पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री, उ0प्र0 द्वारा नाव दुर्घटना पर गम्भीर चिंता जताई गयी तथा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पूनरावृत्ति न हो इस हेतु यह निर्देश दिए गए है कि राज्य सरकार एवं उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देशों का और अधिक कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

उक्त के सन्दर्भ में राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 901 / 1–11–2020 दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 (संलग्नक–1) के क्रम मे उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु पत्र संख्या 680 / रा0आ0प्र0प्रा0 / सी0ई0 / 2020–21, दिनांक 01 मार्च 2021 (संलग्नक–2) के माध्यम से जिला स्तर पर नाव दुर्घटना के सम्बंध में SOP विकसित कर जनपदों को प्रेषित किया गया था।

उक्त SOP के अन्तर्गत नाव दुर्घटनाओं हेतु दिशा–निर्देश, जनपद स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भूमिका, नाव दुर्घटना से बचाव हेतु की जाने वाली तैयारी, नाव संचालन हेतु आवश्यक तैयारी, जन जागरूकता कार्यक्रम, नाव सुरक्षा हेतु अन्य आवश्यक दिशा निर्देश तथा नाव सुरक्षा हेतु क्या करें क्या ना करें इत्यादि समस्त निर्देशों को संकलित कर उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा समस्त जनपदों को प्रेषित किया गया था जिससे उक्त बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए नाव दुर्घटनाओं को न्यूनतम किया जा सके। उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नाव दुर्घटना से बचाव हेतु निर्गत SOP में स्पष्ट रूप से जनपद स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं सम्बंधित अधिकारियों / कर्मचारियों की भूमिका एवं दायित्वों का विस्तृत उल्लेख किया गया है तथा साथ ही इस सम्बंध में जन–जागरूकता हेतु निर्देश प्रदान किए गए है।

जनपद बांदा में हुई दुखद नाव दुर्घटना के दृष्टिगत नाव दुर्घटनाओं को न्यूनतम किए जाने हेतु उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी कार्ययोजना तथा दिशा–निर्देशों का और अधिक तत्परता

के साथा प्रभावी एवं समुचित रूप से क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः उक्त के सम्बंध में उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण नीति 2020 के सम्बंध में जारी की गई SOP का जनपद स्तर पर पूर्ण तत्परता के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से सम्बंधित विस्तृत रिपोर्ट अगामी 15 कार्य दिवसो के अन्दर उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ई–मेल upsdma@gmail.com अथवा पत्राचार पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त प्रेषित किए जा रहे पत्र को 02 कार्य दिवसों के अन्दर पत्र पावती उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रेषित किए जाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवनिष्ठ

रविन्द्र प्रताप साही

(ले0 जनरल रविन्द्र प्रताप साही)
उपाध्यक्ष,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
बी–2 ब्लाक, भूतल, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ

संख्याः– 680 /रा0आ0प्र0प्रा0/सी0ई0/2020–21 दिनांकः 01 मार्च 2021

प्रेषक,
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

विषयः–उ0प्र0 नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण नीति–2020 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या–901/1–11–2020 दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण नीति–2020 उपलब्ध कराते हुए जिला स्तर पर नाव दुर्घटना के सम्बन्ध में एस0ओ0पी0 विकसित किए जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं।

इस सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नाव सुरक्षा की एस0ओ0पी0 विकसित किए जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार कर इस आशय से प्रेषित किये गए हैं कि उक्त एस0ओ0पी0 को उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार बनाये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

01/3/21
(महेन्द्र सिंह)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।
1. निजी सहायक, मा0 उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।
2. गार्ड फाइल।

(महेन्द्र सिंह)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

फोन न0: 0522–2306882 फैक्स न0: 2720285, email: upsdma@gmail.com

F:\Sandeep Doc\SDMA pad 2020-21.docx

उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
नाव सुरक्षा दिशा–निर्देश

परिचय

उ0प्र0 शासन द्वारा जारी की गयी नाव सुरक्षा नीति में दिये गये कार्य दायित्वों के क्रम में उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबधंन प्राधिकरण द्वारा ''नाव सुरक्षा दिशा–निर्देश'' तैयार किये गये हैं।

2. प्रदेश में नदियों से होने वाला यातायात/नौका परिवहन अनेक निवासियों के लिये जीवन–धारा का कार्य करता है। प्रदेश में जनसमूहों, पशुओं, आवश्यक सामग्री इत्यादि का आवागमन नौका परिवहन द्वारा किया जाता है। अधिकांश जगह अभी भी इस कार्य हेतु छोटी अथवा बड़ी मोटर रहित लकड़ी की नावों का उपयोग किया जाता है, जिनमें कि फ्री बोर्ड की जगह बहुत ही कम होती है। प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। नेपाल में वर्षा होने पर भारत में प्रवेश करने वाली नदियों का जल प्रवाह अत्यन्त जटिल होने के कारण नौका दुर्घटना की संख्या में वृद्धि होती है। प्रायः देखा गया है कि ऐसी नावों में यात्रियों की संख्या उनकी अधिकतम भार क्षमता से अधिक होती है एवं नावों का डिजाइन स्थानीय स्तर पर तैयार किया जाता है, जो कि तकनीकी रूप से ठीक नहीं होता। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया है कि अधिकांश यात्री नावें लाइफ जैकेट की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रयोग की जाती हैं।

उद्देश्य

3. नाव दुर्घटना को कम करने एवं दुर्घटना की स्थिति में कार्य करने की एस0ओ0पी0 जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा उक्त दिशा–निर्देशों के आधार पर तैयार किया जाना।

परिधि

4. उक्त दिशा–निर्देशों की परिधि मुख्य रूप से निम्नवत हैः–

- नावों के उपयोग से सम्बन्धित नियमों को स्थानीय स्तर पर पालन किए जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों एवं जनमानस को प्रोत्साहित किया जाना एवं इनके महत्व से अवगत कराया जाना।
- नये नियम बनाते समय स्थानीय स्तर पर परिस्थतियों का आंकलन तथा सरल एवं उपयोगी नियमों का गठन।
- नियमों का उल्लंघन किए जाने पर उचित कार्यवाही का प्राविधान।
- समय–समय पर नियमों की समीक्षा एवं यथावश्यक परिवर्तन।

मार्ग–दर्शक सिद्धान्त

5. नाव दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने एवं इससे होने वाली जनहानि को शून्य करने के दृष्टिगत निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार कार्य किया जाना आवश्यक हैः–

- आपदा से पूर्व तैयारी।
- क्रियाशील पूर्व चेतावनी तंत्र।
- दुर्घटना के समय चिकित्सकीय, प्रशासनिक तथा पुनर्निमाण व्यवस्था हेतु समस्त संसाधनों की उपलब्धता।
- आपदा के प्रभाव को कम करने हेतु उपकरणों की उपलब्धता।

संस्थागत ढांचा

6. प्रदेश सरकार द्वारा नाव दुर्घटना का न्यूनतम करने एवं जनहानि को शून्य करने के दृष्टिगत एस0ओ0पी0 बनाये जाने का दायित्व जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को दिया गया है। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा स्थानीय स्तर पर स्थितियों के अनुसार एस0ओ0पी0 विकसित की जायेगी।

प्रदेश स्तर पर उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को इस सम्बन्ध में यथावश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा। समस्त स्टेक होल्डर विभागों एवं जनमानस की ट्रेनिंग एवं क्षमता संवर्धन का कार्य भी उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के माध्यम से कराया जायेगा। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा जनपद में स्थित घाटों हेतु एक तहसीलदार स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाए एवं प्रत्येक घाट हेतु एक केयर टेकर को नामित किया जाए।

प्रदेश स्तर पर राज्य सरकार एवं राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की भूमिका

7. नाव दुर्घटना एवं इस कारण होने वाली जन–हानि को न्यूनतम करने के हेतु प्रदेश स्तर पर प्राधिकरण एवं राज्य सरकार की निम्न भूमिकायें हैः–

- समस्त दिशा–निर्देशों को तैयार कर अनुपालन सुनिश्चित करना एवं निरन्तर मॉनीटरिंग करना।
- आवश्यक उपकरणों जैसे कि–लाइफ जैकेट, टॉर्च, सीटी, फस्टएड किट को पर्याप्त मात्रा में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध कराना।
- मौसम विभाग, सी0डब्ल्यू0सी0 एवं अन्य सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर पूर्व चेतावनी तंत्र विकसित करना।
- पूर्व चेतावनी को जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के माध्यम से जमीनी स्तर तक पहुंचाना।
- समस्त सम्बन्धित विभागों से नोडल अधिकारियों को नामित कराते हुए समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

- सभी प्रमुख घाटों पर आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की भूमिका

8. भारत सरकार के राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत उ0प्र0 के निम्नलिखित जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग की श्रेंणी में रखा गया है। अतः निम्न जलमार्गों पर उ0प्र0 की सीमा के अन्तर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के समस्त प्रावधानों का अनुपालन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से अपने जनपद के अन्तर्गत सुनिश्चित कराया जाना चाहिये।

- ➢ प्रयागराज–हल्दिया जलमार्ग।
- ➢ अस्सी घाट वाराणसी।
- ➢ चंबल एवं यमुना नदी का संगम स्थान चकरपुर जनपद, औरेया।
- ➢ घाघरा एवं गंगा नदी का संगम स्थान, मांझी घाट जनपद, फैजाबाद।
- ➢ गोमती नदी, बड़ा इमामबाड़ा, जनपद लखनऊ।
- ➢ वरूना नदी, सराय मुहाना, जनपद वाराणसी।
- ➢ यमुना नदी, जगतपुर दिल्ली से संगम प्रयागराज तक।

9. उक्त जलमार्गों के अतिरिक्त स्थायी/अस्थायी घाटों तथा नौका चालन क्षेत्रों में निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जायः–

- स्थानीय स्तर पर आवश्यकताओं के अनुरूप एस0ओ0पी0 तैयार करना।
- सरल एवं उपयोगी दिशा–निर्देशों को एस0ओ0पी0 में सम्मिलित करना।

- एस0ओ0पी0 में उल्लिखित समस्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- नौका चालकों एवं यात्रियों में जागरूकता फैलाना।
- पूर्व चेतावनी तंत्र को क्रियाशील करना।
- जन जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत मॉकड्रिल एवं सुरक्षा नियमों का प्रदर्शन किया जाना।
- जनपद में नौका चालन के स्थानों को स्थायी अथवा अस्थायी श्रेंणी अनुसार चिन्हित किया जाना।
- स्थायी एवं अस्थायी दोनों ही प्रकार के घाटों पर समस्त सुरक्षा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।
- प्रत्येक घाट पर उपयुक्त आकार का नोटिस बोर्ड लगाया जाए जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे और जिसमें घाट का विवरण, नौका चालन की समय–सीमा, आवश्यक फोन नं0 इत्यादि लिखा जाना।
- नोटिस बोर्ड पर नाविकों एवं नौका चालकों हेतु ''क्या करें क्या न करें'' के दिशा–निर्देशों का लिखा जाना।
- अस्थायी घाटों पर जल स्तर से जमीन तक के लिये बनाये जाने वाले प्लेटफार्म अथवा सीढ़ियों हेतु प्लास्टिक के बोरे का प्रयोग न करते हुये जूट के बोरे का प्रयोग किया जाय चूंकि प्लास्टिक के बोरे में फिसलन होने की संभावना अधिक होती है।
- घाटों पर उपयोग की जाने वाली समस्त नावों का जिला प्रशासन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जाय एवं समय–समय पर उक्त विवरण को अपडेट किया जाना।

- किसी भी प्रकार की अनरजिस्टर्ड नाव को चलाये जाने की अनुमति न दी जाय।
- रजिस्टर्ड नावों की समय–समय पर सुरक्षा जांच करना।
- प्रत्येक नाव पर अधिकतम भार क्षमता, यात्रियों की संख्या, नाविक का नाम, नाव मालिक का नाम एवं नाव की अंतिम जांच तिथि लिखी जाना। उक्त विवरण पीले रंग के बेस पर काले रंग से साफ–साफ पढ़ने योग्य साइज में लिखा जाय।
- नावों की अधिकतम भार क्षमता का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना एवं पानी के अन्दर नाव के अधिकतम भाग को पीली रेखा से इंगित किया जाना।
- लाइफ जैकेट एवं अन्य आवश्यक उपकरणों का नाव पर उपलब्ध होना।
- घाटों पर नाव में चढ़ने एवं उतरने हेतु गैंगवे (Gangway) का उपयोग करने से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। अतः जहां संभव हो इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाय।
- नावों के रख–रखाव की जांच प्रतिवर्ष 15 मई से 15 जून (मानसून से पूर्व) के मध्य अवश्य सुनिश्चित की जाय।
- समय–समय पर समीक्षा कर दिशा–निर्देशों में आवश्यक परिवर्तन करना।

नाव दुर्घटना

10. प्रदेश में चलने वाली अधिकांश यात्री नौकाएं स्थानीय स्तर पर तैयार की जाती हैं, जिस कारण उनकी सुरक्षा जांच नहीं हो पाती हैं। इसके अतिरिक्त

अधिकतर नौकाएं बिना उचित संख्या में लाइफ जैकेट के चलायी जाती हैं। नौका दुर्घटना के प्रमख कारण निम्नलिखित हैं:–

- अशिक्षित अथवा कम अनुभवी नौका चालक द्वारा नाव चलाया जाना।
- अधिकतम भार क्षमता से अधिक भार के साथ नौका का चलाया जाना।
- यात्रियों का अनियंत्रित रूप से नाव पर गतिविधियां किया जाना।
- नशे क़ी स्थिति में नाव चलाया जाना।
- नाव के डिजाइन अथवा उपकरण में कमी होना।
- खराब मौसम में नाव चलाया जाना।

आपदा पूर्व की जाने वाली तैयारी

11. आपदा पूर्व तैयारी बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस चरण के दौरान पूर्ण तैयारी करने से नाव संचालन के समय होने वाली दुर्घटना को टाला जा सकता है एवं जन–हानि को न्यूनतम किया जा सकता है।

12. व्यवहारिक अभ्यास। समय–समय पर नाव दुर्घटना नाव सुरक्षा संबंधी अभ्यास किया जाना चाहिये। व्यवहारिक अभ्यास के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों का कियान्वयन किया जाना चाहिये।

- समस्त संबंधित विभागों के साथ समन्वय।
- भौगोलिक सूचना (भूमि का प्रकार, नदी)।
- मानचित्र का विवरण।
- सरकारी भवनों, अस्पतालों, छावनी क्षेत्र, खाद गोदाम, हेलीपैड इत्यादि की स्थिति।
- मुख्यालय से संचार, मुख्य मार्ग की जानकारी।
- बाढ़ आपदा आश्रय स्थल का स्थान व क्षमता।
- आपदा का इतिहास तथा सरकारी गैर सरकारी संगठन द्वारा राहत बचाव कार्य।

- जनपद, क्षेत्र के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी।
- संसाधनों का मानचित्रीकरण।

13. **सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम।** किसी भी प्रकार की आपदा में समुदाय की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर नाव सुरक्षा एवं नाव दुर्घटना से बचाव हेतु सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये जिसके दौरान निम्नलिखित गतिविधियां करनी चाहिये।

- बुनियादी जीवन के बचाव की तकनीकी।
- प्राथमिक चिकित्सा।
- स्वच्छता साफ–सफाई।
- आपातकालीन निकास।
- महामारी / हैजा संबंधी जागरूकता।
- प्रारम्भिक चेतावनी।
- मृतकों / घायलों की निकासी।
- आश्रय स्थल प्रबंध।
- क्षति का आंकलन।
- शवों का निस्तारण।
- राहत।
- परामर्श इत्यादि।
- प्रायः घाटों एवं नदी किनारों के समीप रहने वाले नागरिक तैराकी में निपुण होते हैं, ऐसे लोगों का विवरण तैयार कर बचाव एवं राहत कार्य के समय उपयोग में लाना चाहिये। इस हेतु उक्त नागरिकों की ट्रेनिंग का कार्य भी किया जाना चाहिये।
- नागरिकों, अधिकारियों / कर्मचारियों की ट्रेनिंग हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एन0डी0आर0एफ0 तथा एस0डी0आर0एफ0 के माध्यम से नियमित कार्यक्रम कराये जाने चाहिये।

14. नाव सुरक्षा हेतु निम्न बातों का ध्यान रखें

- जांच करें कि वोट कितनी पुरानी है या इनफ्लैटेबल बोट की उम्र क्या है क्योंकि औसत 1 वोट की आयु 10 से 15 वर्ष होते हैं बोट की उम्र के हिसाब से ही उसे तैयार करें।
- समय–समय पर नाव की साफ सफाई करते रहना चाहिए अगर नाव रेस्क्यू कर वापस आई है तो सर्वप्रथम उसकी सफाई की जानी चाहिए।
- नाव के रखरखाव में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ध्यान दें कि उसके आसपास कोई ऐसी वस्तु ना रखी हो जिससे कि नाव को नुकसान पहुंच सके।
- नाव की समय–समय पर चेकिंग एवं रिपेयरिंग अवश्यक की जानी चाहिए रिपेयरिंग के समय हर एक छोटी छोटी बात व निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
- नाव में लीक का पता लगाना तथा उसे सही करके ही प्रयोग में लाना चाहिये।
- नाव को एक स्थान से दूसरे स्थान लाते ले जाते समय विशेष सावधानी रखी जानी चाहिए।
- बोट के प्रकार तथा उसकी क्षमता के हिसाब से ही उसमें नाविकों की संख्या का निर्धारण किया जाता है।
- नाव की भार क्षमता नाव के प्रकार पर निर्भर करती है कि बोट किस प्रकार की है और उसकी भार क्षमता के हिसाब से ही नाविकों को निर्धारण तथा सामान का निर्धारण किया जाता है।

15. नाव दुर्घटना रोकने तथा नाविक सुरक्षा संबंधी नियम व शर्तें

- सभी नाविकों को लाइफ जैकेट पहन कर ही बोट में बिठाया जाना चाहिए।
- नियमित नाव की जांच तथा मरम्मत की जानी चाहिए जिससे कि नाव दुर्घटना से बचा जा सके।

- मौसम संबंधी जानकारी करके ही नाव को पानी में ले जाना चाहिए मौसम पूर्वानुमान अवलोकन के बाद ही बोट लेकर जाना चाहिए।
- नाविकों को हल्के कपड़ों में बिना जरूरत की वस्तुओं आदि की जानकारी के साथ ही वोट से रेस्क्यू करने जाना चाहिए।
- बोट पर कितना भार है और इसकी कितनी क्षमता है यह सुनिश्चित करने के बाद ही बोट चलाएं अन्यथा ओवरलोडिंग से नाव के डूबने का खतरा बढ़ जाता है।
- पानी के स्तर की जांच करना सुनिश्चित कर लेना चाहिए तथा पानी संबंधी ट्रैफिक गाइडलाइन का पालन करना चाहिए।
- नाव चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्रायः देखने में आता है कि फोन पर बात करते समय सेल्फी आदि लेते समय ध्यान केंद्रित नहीं रहता जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है।
- शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ्य व्यक्ति को ही नाव चालक के रूप में कार्य करना चाहिए।
- बोट पर सुरक्षा के दृष्टिगत लाइफ ब्वॉय एवं लाइफ जैकेट भी पर्याप्त मात्रा में रखे जाने चाहिए।

क्या करें क्या न करें

नौका चालक

क्र.सं	क्या करना चाहिए	क्या नहीं करना चाहिए
01.	लाइफ जैकेट साथ लेकर जाना चाहिए।	नाव पर अधिक भार न होने दें।
02.	सुरक्षा को लेकर यात्रियों को ब्रीफ करें।	नाव में पशुओं के साथ यात्रियों को न बैठाएं
03.	नाव का रख–रखाव करें।	नशे का सेवन न करें।
04.	तैरने वाले उपकरण साथ लें।	क्षमता से अधिक यात्री न बिठायें।
05.	आपदा संकेत संबंधी उपकरण साथ लें।	खराब मौसम अथवा तेज हवाओं में नाव का उपयोग न करें।
06.	मौसम संबंधी जानकारी लेते रहें।	नाव में जल्दबाजी न करें।
07.	ज्वलनशील वस्तु को सुरक्षित जगह पर रखें।	प्रतिबंधित क्षेत्र में नाव न ले जाएं।
08.	अन्य नावों पर नजर रखें।	अधिक तेज गति से नाव न चलायें।
09.	संचार उपकरण साथ लेकर चलें।	

नौका यात्री

क्र.सं	क्या करना चाहिए	क्या नहीं करना चाहिए
01.	नौका चालक के निर्देशों पर ध्यान दें।	नाव पर चढ़ते/उतरते समय जल्दबाजी न करें।
02.	सभी नियमों का पालन करें।	नाव पर झगड़/उपद्रव न करें।
03.	घाटों एवं नाव पर स्वच्छता का ध्यान रखें।	नाव भरी होने की स्थिति में खड़े होकर अपनी जगह बदलने का प्रयास न करें।
04.		घाटों पर प्रतिबंधित क्षेत्र में न जायें।
05.		नाव चालक का नाव चलाते समय ध्यान न भटकायें।

16. जिला अपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उक्त समस्त दिशा–निर्देशों के आधार पर एस0ओ0पी0 बनायी जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार किसी भी प्रकार के विशेष प्रावधानों को एस0ओ0पी0 में सम्मिलित किया जाना चाहिये। एस0ओ0पी0 में सम्मिलित किये जाने वाले प्रमुख बिन्दुओं का विवरण प्रारूप–1 पर संलग्न है।

निष्कर्ष

17. नाव दुर्घटना में होने वाली जन–हानि को न्यूनतम करने हेतु अत्यन्त आवश्यक है कि उल्लिखित समस्त बिन्दुओं पर निरन्तर कार्यवाही की जाय। नाव का रख–रखाव, चलाने की उपयोगिता इत्यादि की जांच निश्चित समय अन्तराल पर की जानी चाहिये। सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता, लाइफ जैकेट की पर्याप्त मात्रा इत्यादि को सुनिश्चित कर नाव दुर्घटना में होने वाली जन–हानि को कम किया जा सकता है। क्षमता संवर्धन तथा मॉकड्रिल की महत्वता समझी जानी चाहिये तथा जन–मानस एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को इस संबंध में जागरूक किया जाना चाहिये। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किये गये समस्त दिशा–निर्देशों एवं नियमों का अनुपालन एवं समस्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से कार्यवाही करने से नाव दुर्घटना को टाला जा सकता है एवं जन–हानि को न्यूनतम किया जा सकता है।

एस0ओ0पी0: घाट का नाम

परिचय

नदी का नाम, घाट का नाम, गांव का नाम, पुलिस चौकी, निकटतम थाना, तहसील एवं जनपद का नाम। इसके अतिरिक्त घाट के लैटीट्यूड एवं लौंगीट्यूड (Lat. & Long.) का विवरण।

उद्देश्य

नाव दुर्घटना एवं इससे होने वाली जन–हानि को शून्य करना।

सामान्य समय की तैयारी

- सामुदायिक जागरूकता, व्यवहारिक अभ्यास, अधिकारियों / कर्मचारियों एवं जन–मानस हेतु ट्रेनिंग कार्यक्रम का विवरण।
- नाव चालक एवं नाव के रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही।
- नदी एवं घाटों से संबंधित समस्त विवरण तैयार करना एवं घाटों की सुदृढ़ीकरण का कार्य।
- नाव के रख–रखाव एवं नाव के चलाये जाने की उपयोगिता की जांच संबंधी समस्त कार्यवाही।
- एस0ओ0पी0 में उल्लिखित समस्त कार्यों हेतु दायित्व निर्धारण।
- फीडबैक एवं एस0ओ0पी0 का अपडेशन।
- नियंत्रण कक्ष की स्थापना।
- संचार की योजना।
- दुर्घटना के कारणों की जानकारी एवं रोक की व्यवस्था।
- क्या करना चाहिए, क्या नहीं।
- क्विक रेस्पॉन्स टीम।

नाव दुर्घटना के समय कार्यवाही

- संचार एवं सूचना का प्रसारण
- बचाव की कार्यवाही
- व्यवस्थित योजना के तहत संसाधन जुटाना तथा मोबिलाइज करना।
- चिकित्सकीय कार्यवाही

नाव दुर्घटना के बाद की कार्यवाही

- नुकसान की भरपाई
- हादसे के कारणों की जांच

निष्कर्ष

अति महत्वपूर्ण/कोर्ट केस
संख्या–901/एक–11–2020

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
गृह, वित्त, सिंचाई एवं जल संसाधन, नगर विकास, परिवहन, पंचायतीराज, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, कौशल विकास, श्रम एवं मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
3– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– कमाण्डेन्ट, एन0डी0आर0एफ0 वाराणसी।
6– निदेशक, मौसम विभाग, उ0प्र0।
7– मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग, उ0प्र0।

राजस्व अनुभाग 11 **लखनऊ दिनांक07 दिसम्बर, 2020**

विषयः–उत्तर प्रदेश नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण नीति–2020 के कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में अन्तर्देशीय नौपरिवहन हेतु देशी मानव चलित तथा यान्त्रिक चलित नौकाये प्रयोग में लायी जाती है। अन्तर्देशीय नौपरिवहन के दौरान कतिपय स्थानो पर नौका दुर्घटनायें हो जाती है जिनमें काफी मात्रा में जन–धन–पशु हानि होती है।

2– इन नौका दुर्घटनाओं के अध्ययन में पाया गया कि जीर्ण–शीर्ण, क्षतिग्रस्त व पुरानी नौकाओं द्वारा अपनी भारवाही क्षमता से अधिक भार का नौवाहन किये जाने, नौका की भौतिक दशाओं, संरचनाओं व उनके परिचालन गतिविधियों के समुचित सत्यापन का अभाव, नौका संचालकों का खराब या शून्य प्रशिक्षण, उनकी खतरनाक कार्यशैली, नौपरिवहन सम्बन्धी कानूनो का वास्तविक रूप से पालन न किये जाने आदि कारणों से ये दुर्घटनाये घटित होती है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या–46615/2015 टीना श्रीवास्तव व 04 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2018 के क्रम में **उत्तर प्रदेश नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण नीति–2020** प्रख्यापित की गयी है। इस नीति से जल में पैदा की जाने वाली फसलों यथा सिंघाड़ा, मखाना आदि की खेती में व्यक्तिगत रूप से प्रयोग होने वाली नावें इस नीति से आच्छादित नहीं होगी।

3– नीति के प्रमुख कार्यकारी बिन्दु जिन पर जिला प्रशासन/जनपद स्तरीय विभिन्न विभागों द्वारा तत्काल कार्यवाही अपेक्षित है, निम्नवत् हैः–

3.1– जनपद स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही (कृपया नीति के प्रस्तर–3.1 को भी देखें)–

3.1.1–जिला स्तरीय 'नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति' का गठन– नौकाओं के संचालन, सुरक्षा और रखरखाव तथा नौका दुर्घटनाओं के प्रबन्धन व न्यूनीकरण एवं नाविक कल्याण हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार जिला स्तरीय 'नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति' का गठन दिनांक 25 दिसम्बर, 2020 तक अनिवार्य रूप से कर लिया जायः–

क्र0सं0	पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
4	ए0आर0टी0ओ0 (परिवहन विभाग)	सदस्य
5	जिला पंचायतराज अधिकारी	सदस्य
6	नगर विकास विभाग के अधिकारी	सदस्य
7	अधिशासी अभियन्ता सिचाई विभाग	सदस्य
8	जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद में कार्यरत किसी नाविक / मछुवारा संघ का अध्यक्ष या सदस्य	सदस्य
9	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
10	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य
11	श्रम / कौशल विकास विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य
12	ए0डी0एम0 (वि0 / रा0) / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण	सदस्य संयोजक
13	जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य विशेष आमंत्री	सदस्य

3.1.2–जनपद के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित होने वाली विकास व कल्याण योजनाओं तथा एम0एस0एम0ई0 द्वारा संचालित होने वाली योजनाओं व वित्तीय / ऋण परियोजनाओं और कौशल विकास संबंधी योजनाओं से नाविकों व गोताखोरों को प्राथमिकता पर जोड़ा जाय।

3.1.3–तहसील स्तरीय नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति व अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक– नीति के प्रस्तर 3.1.3 के प्राविधान के क्रम में जिला स्तरीय 'नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति द्वारा तहसील स्तरीय नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समितियों व अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 के पूर्व बैठक आहूत कर ली जाय तथा नौका दुर्घटना प्रबंधन व सुरक्षा में आने वाली बाधाओं के संबंध में विचार–विमर्श कर तहसील स्तरीय नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समितियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किये जायें।

3.1.4–राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एन0डी0आर0एफ0, एस0डीआर0एफ0, पी0ए0सी0 व जल पुलिस आदि के सहयोग से नाविकों व गोताखोंरों का प्रशिक्षण कराया जाय। जिला स्तरीय समिति द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि तहसील के सभी घाटों पर सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मॉकड्रिल / अभ्यास प्रत्येक वर्ष मानसून प्रारम्भ होने के पूर्व (अधिकतम 10 जून) तक कराया जाये।

3.1.5–जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी नावों का सर्वेक्षण हो, समुचित रिकार्ड रखे जायें तथा नावों, नाविकों व गोताखोरों का विवरण रखा जाय।

3.1.6–नाव दुर्घटना में मृतक या घायल होने की स्थिति में प्रभावित परिवारों को 24 घंटे के अन्दर आर्थिक सहायता प्रदान की जाय।

3.1.7–जो नाविक अपनी नावों का सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण करने के इच्छुक हों उन्हें लोन दिलवाने हेतु बैंक लिंकेज करवाया जाय अथवा किसी स्कीम से आच्छादित करवाने हेतु आवश्यक समन्वय किया जाय व इस हेतु व्यवस्थायें बनाई जायें।

3.1.8– प्रत्येक वर्ष मानसून प्रारम्भ होने के पूर्व (10 जून तक) नाविकों तथा गोताखोरों के प्रशिक्षण हेतु ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय समितियों से प्रस्ताव प्राप्त कर/समेकित कर राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण से समन्वय कर एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, पी0ए0सी0, जल पुलिस के माध्यम से प्रशिक्षण कराये जायेंगे। नाविकों तथा गोताखोरों को प्रथम बार 7 से 10 दिवस का प्रशिक्षण प्रदान किया जाय तदुपरांत प्रत्येक वर्ष 3 दिन का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराया जाय। प्रशिक्षण के दौरान नाविकों तथा गोताखोरों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित अर्द्धकुशल श्रमिकों को दिया जाने वाला मानदेय प्रदान किया जाय। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी नाविकों तथा गोताखोरों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा आवश्यकतानुसार सेफ्टी किट जिसमें 02 लाइफ जैकेट, 01 लाइफबॉय, पतवार, लम्बा बांस, रस्सी, टॉर्च, प्राथमिक चिकित्सा किट सामग्रियां सम्मिलित होंगी, निःशुल्क प्रदान की जायेगी। प्रशिक्षण व सेफ्टी किट में होने वाले व्यय का आंकलन कर धनराशि के आवंटन हेतु समेकित प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3.1.9–समिति प्रत्येक वर्ष 10 जून के पूर्व नाव सुरक्षा जागरुकता सप्ताह मनाया जाय तथा नाविकों, गोताखोरों व आम जनमानस को नाव सुरक्षा के संबंध में जागरुक किया जाय।

3.2– तहसील स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही (कृपया नीति के प्रस्तर–3.2 को भी देखें)–

3.2.1 नौकाओं के संचालन, सुरक्षा और रखरखाव तथा नौका दुर्घटनाओं के प्रबन्धन व न्यूनीकरण तथा नाविक कल्याण हेतु जनपद की समस्त तहसीलों में "तहसील स्तरीय नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति" का निम्नवत् गठन दिनांक 25 दिसम्बर, 2020 तक अनिवार्य रूप से कर लिया जायः–

क0सं0	पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
1	उप जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	पुलिस क्षेत्राधिकारी	सदस्य
3	तहसील के समस्त खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
4	अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका	सदस्य
5	सम्भागीय निरीक्षक (तकनीकी)–परिवहन विभाग	सदस्य
6	तहसीलदार	सदस्य संयोजक

3.2.2–ऐसी ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों में जहां नौपरिवहन होता हो वहॉ दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 तक ग्राम पंचायत/नगर निकाय स्तरीय नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति गठित कराया जाय।

3.2.3–प्रत्येक वर्ष मानसून प्रारम्भ होने के पूर्व (10 जून तक) तहसील स्तरीय समिति द्वारा ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय स्तरीय समिति के सहयोग से क्षेत्र के नाविकों

तथा गोताखोरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु तिथियां निर्धारित की जायें तथा जिला स्तरीय समिति के समन्वय से प्रशिक्षण कार्यक्रम का कियान्वयन कराया जाय।

3.2.4—समिति प्रत्येक वर्ष 10 जून के पूर्व नाव सुरक्षा जागरुकता सप्ताह मनाया जाय तथा नाविकों, गोताखोरों व आम जनमानस को नाव सुरक्षा के संबंध में जागरुक किया जाय।

3.2.5—तहसील स्तरीय नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति द्वारा नौकाओं के संचालन, सुरक्षा और रखरखाव तथा नौका दुर्घटनाओं के प्रबन्धन व न्यूनीकरण हेतु नीति के प्रस्तर—3.2.2 में उल्लिखित कार्यवाहियां उक्त समिति द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जाय।

3.3— ग्राम पंचायत/नगर निकाय स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही (कृपया नीति के प्रस्तर—3.3 को भी देखें)—

3.3.1—जिन ग्राम पंचायतों के भू—भाग के अंतर्गत नौकाओं/घाटों का संचालन होता है, उन ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान व सर्किल के लेखपाल को मिलाकर दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 तक "ग्राम पंचायत स्तरीय नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति" गठित की जाय। इसी प्रकार जिस वार्ड के अंतर्गत नौकाओं/घाटों का संचालन होता है, उन क्षेत्रों में क्षेत्रीय पार्षद/सभासद तथा अधिशासी अधिकारी/जोनल अधिकारी को मिलाकर "नगर निकाय स्तरीय नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति" का गठन उक्त समयावधि में किया जाय।

3.3.2—संबंधित समिति द्वारा घाट पर जाकर वहाँ से संचालित हो रही नौकाओं के नाविकों से उनकी नौकाओं के निर्माण का वर्ष, लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई अनुमानित भार वाहन क्षमता, नौका परिवहन मार्ग, नौका स्वामी व नौका चालक का फोन नम्बर तथा नाव की भौतिक दशा (कंडीशन) के संबंध में स्वप्रमाणित विवरण 02 प्रतियों में प्राप्त किया जाय तथा उसकी नाव का भौतिक परीक्षण कर नाविक द्वारा प्रदत्त स्वप्रमाणपत्र को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान व लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिहस्ताक्षरित तथा शहरी क्षेत्र में पार्षद/सभासद तथा अधिशासी अधिकारी/जोनल अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिहस्ताक्षरित कर उसकी एक प्रति नौका स्वामी को दी जाय और दूसरी प्रति ग्राम पंचायत/नगर निकाय/जोन के रजिस्टर में चस्पा करके रखी जाय (स्वप्रमाणपत्र का प्रारूप संलग्नक—2 में उपलब्ध)। आवश्यकता होने पर यह समिति तकनीकी के जानकार का सहयोग प्राप्त कर सकती है।

3.3.3—प्रत्येक वर्ष मानसून प्रारम्भ होने के पूर्व (10 जून तक) संबंधित समिति द्वारा क्षेत्र के नाविकों तथा गोताखोरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु तिथियां निर्धारित की जायें तथा तहसील/जिला स्तरीय समिति के समन्वय से प्रशिक्षण कार्यक्रम का कियान्वयन कराया जाय। नाविकों तथा गोताखोरों को प्रथम बार 7 से 10 दिवस का प्रशिक्षण प्रदान किया जाय तदुपरांत प्रत्येक वर्ष 3 दिन का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराया जाय। प्रशिक्षण के दौरान नाविकों तथा गोताखोरों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित अर्द्धकुशल श्रमिकों को दिया जाने वाला मानदेय प्रदान किया जाय। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी नाविकों तथा गोताखोरों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र

तथा आवश्यकतानुसार सेफ्टी किट जिसमें 02 लाइफ जैकेट, 01 लाइफबॉय, पतवार, लम्बा बांस, रस्सी, टॉर्च, प्राथमिक चिकित्सा किट सामग्रियां सम्मिलित होंगी, निःशुल्क प्रदान की जायेगी।

3.3.4—त्वरित प्रतिक्रिया हेतु घाटों के निकट ग्रामों/वार्ड/मोहल्ला में निवास करने वाले गोताखोरी/तैराकी जानने वाले लोगों का प्रशिक्षण कराया जाय।

3.3.5—प्रत्येक वर्ष 10 जून के पूर्व/मेलों व धार्मिक स्नानों आदि के मॉकड्रिल/पूर्वाभ्यास कराया जाय।

3.3.6—समिति प्रत्येक वर्ष 10 जून के पूर्व नाव सुरक्षा जागरुकता सप्ताह मनाया जाय तथा नाविकों, गोताखोरों व आम जनमानस को नाव सुरक्षा के संबंध में जागरुक किया जाय।

3.3.7—ग्राम प्रधान/पार्षद/सभासद द्वारा अपने ग्राम पंचायत/वार्ड में संचालित होने वाली विकास एवं रोजगारपरक योजनाओं तथा विभिन्न कौशल विकास परियोजनाओं से नाविकों व गोताखोरों को प्राथमिकता पर जोड़ने के प्रयास किये जायें। नावों का सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण करने के इच्छुक नाविकों को लोन दिलवाने हेतु बैंक लिंकेज करवाने अथवा किसी स्कीम से आच्छादित करवाने हेतु इन प्रार्थना पत्रों को तहसील स्तरीय समिति के माध्यम से जिला स्तरीय समिति को उपलब्ध कराया जाय।

3.3.8—नदी की स्थितियों या मौसम के प्रतिकूल होने पर लोगों को सूचित किया जाय कि जब तक स्थिति में सुधार या अनुकूल नहीं हो जाती, तब तक नौका संचालन नहीं किया जाय।

3.3.9—मानसून काल में सूर्यास्त के बाद सामान्य नौका परिचालन की अनुमति नही दी जाय। केवल बचाव व खोज कार्य में लगी नौकाओं को ही अनुमति दी जाय।

3.4— विभिन्न विभागों/प्राधिकरण के दायित्व (कृपया नीति के प्रस्तर—3.4 से प्रस्तर—3.15 को भी देखें)—

3.4.1 **परिवहन विभाग—** देशी मानव चलित (नॉन मैकेनाइज्ड) नौकाओं के संचालन, सुरक्षा और रखरखाव के सम्बन्ध में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा। नाविक/नाविक संघ आदि द्वारा किसी तकनीकी सहयोग की मांग किये जाने पर परिवहन विभाग द्वारा आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा।

3.4.2 **उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण —** उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जिला स्तरीय समितियों व जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के समन्वय से नौका दुर्घटना प्रबंधन से संबंधित विभिन्न स्टेकहोल्डर्स की जागरूकता एवं क्षमता वृद्धि हेतु एक्शन प्लान बनाकर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के माध्यम से राहत एवं बचाव उपकरणों/संसाधनों को सूचीबद्ध कर ऑनलाइन इनवेन्ट्री आई0डी0आर0एन0 में फीड कराया जायेगा। तत्समय प्रचलित इमरजेंसी ऑपरेशन प्रोसीजर्स की समय—समय पर जांच कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वह प्रासंगिक है अथवा नही है तथा उन्हे प्रासंगिक बनाये जाने के संबंध में यथोचित कार्यवाही की जायेगी। किसी नौका इमरजेंसी/दुर्घटना की स्थिति में जीवन रक्षा हेतु तत्काल अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं तथा विभिन्न विभागों व स्थानीय स्तर

के निकायों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के माध्यम से विस्तृत एस0ओ0पी0 तथा एक्सीडेन्ट मैनेजमेंट प्लान तैयार कराकर संबंधित को वितरित कराया जायेगा। नाव दुर्घटना की स्थिति में एस0डी0आर0एफ0, पी0ए0सी0, एन0डी0आर0एफ0, वायु सेना आदि की आवश्यकता होने पर आवश्यक समन्वय स्थापित किया जायेगा।

3.4.3 **जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण–** विभिन्न स्टेकहोल्डर्स की जागरूकता एवं क्षमता वृद्धि, राहत एवं बचाव उपकरणों/संसाधनों को सूचीबद्ध कर ऑनलाइन इनवेन्ट्री आई0डी0आर0एन0 में फीड कराया जाना, किसी नौका इमरजेंसी/दुर्घटना की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में विस्तृत एस0ओ0पी0 तथा एक्सीडेन्ट मैनेजमेंट प्लान तैयार करना।

3.4.4 **सिंचाई विभाग–** प्रदेश की नदियों में पानी छोड़े जाने की पूर्व सूचना जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन को देना तथा उन क्षेत्रों को चिह्नित करना जहां प्रायः नौका दुर्घटनायें होती हैं या जहां पानी की धारा या स्तर में परिवर्तन के कारण ग्राउंडिंग हो सकती है।

3.4.5 **समाज कल्याण विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग, कौशल विकास विभाग, श्रम विभाग–** इन विभागों द्वारा संचालित होने वाली विकास व कल्याण योजनाओं/ वित्तीय व ऋण परियोजनाओं से नाविकों व गोताखोरों को प्राथमिकता पर जोड़ा जायेगा।

3.4.6 **जल पुलिस/पी0ए0सी0/एस0डी0आर0एफ0–** कम्पनियों को आवश्यकतानुसार स्थलों में तैनात किया जाना, उपलब्ध राहत खोज बचाव उपकरणों का रख रखाव सुनिश्चित करना तथा आवश्कतानुसार अतिरिक्त उपकरणों का क्रय करना, कार्मिको का समय–समय पर प्रशिक्षण कराना। नदी के किनारे पर रहने वाले लोगो को जागरूक करना तथा ऐसे गांव जहां नौकाएं संचालित होती हों, वहां ग्राम पंचायतों में "नाव सुरक्षा जागरूकता अभियान" छः महीने में कम से कम एक बार किया जायेगा।

3.4.7 **चिकित्सा विभाग**– नावों पर रखे जाने वाले प्राथमिक चिकित्सा किट (First Aid Kit) में सम्मिलित की जाने वाली औषधियों व सामग्री की सूची तैयार कर दिनांक 30. 12.2020 तक तहसील स्तरीय समिति को उपलब्ध करा दिया जाय। मेलों/बाजारों/धार्मिक स्नानों के समय समुचित संख्या में चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मी लगाये जायेंगे।

3.4.8 **नगर विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग–** ग्राम पंचायत स्तरीय/नगर निकाय स्तरीय नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समितियों को दिये गये दायित्वों के निर्वहन हेतु पंचायतीराज/नगर विकास विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा समस्त संबंधित अधिकारियों को दिनांक 30.12.2020 पूर्व निर्देश जारी कर दिये जायेंगे।

3.4.9 **नाविक/नौका संचालकों का एसोसिएशन/संघ–** प्रत्येक यात्रा या भ्रमण की शुरूआत में, नाविक द्वारा यात्रियों को सुरक्षा ब्रीफिंग दिया जाय। नाविक द्वारा नौका में पर्याप्त लाइफ सेविंग इक्विपमेंट यथा–लाइफ जैकेट, लाइफ ब्वाय, फर्स्ट–एड बॉक्स, टार्च, लम्बा बांस, रस्सी अनिवार्य रूप से रखा जाय। नदी की

स्थिति या मौसम के प्रतिकूल होने के दौरान नाविक क्षमता से आधी संख्या के यात्रियों को ही नौका में बैठाया जाय। नौकाओं की फिटनेस का स्वमूल्यांकन कर ठीक कर लिया जाय। जो नाविक अपनी नावों का सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण करने के इच्छुक होंगे वह लोन हेतु बैंक लिंकेज करवाने अथवा किसी स्कीम से आच्छादित होने के लिये पंचायत/नगर निकाय स्तरीय समिति को आवेदन कर सकेंगें। नाविक द्वारा किसी तकनीकी सहयोग की मांग किये जाने पर प्रशासन द्वारा आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान कराया जायेगा।

3.4.10 **नदी तटों पर आयोजित होने वाले मेला/बाजार के आयोजनकर्ता–** मेला/बाजार के आयोजनकर्ताओं का यह दायित्व होगा कि पिछले वर्षों में आये हुये मेलार्थियों की संख्या के आधार पर प्रस्तावित मेला/बाजार में पहुँचने वाले मेलार्थियों की सम्भावित संख्या का आंकलन करते हुये नदी के आर–पार से आने वाले व्यक्तियों हेतु पर्याप्त नौकायें उपलब्ध कराने का अनुरोध उप जिलाधिकारी से करेंगे। मेला/बाजार आयोजनकर्ताओं के सक्षम प्रतिनिधि घाटों पर निरन्तर उपस्थित रहकर नौका यात्रियों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

3.4.11 **स्वयंसेवी संगठन–** क्षेत्र में कार्यरत स्वंयसेवी संगठनों द्वारा नाव दुर्घटना प्रबन्धन व सुरक्षा हेतु स्कूलों, कॉलेजों, नदीय तट के क्षेत्रों इत्यादि में जागरूकता कार्यक्रम कराने में प्रशासन को सहयोग प्रदान किया जायेगा। नाविकों और यात्रियों को नौका दुर्घटना आपदा के बचाव के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने में सहयोग दिया जायेगा। स्वंयसेवी संगठनों से नाविकों को निःशुल्क बचाव उपकरण (लाइफ जैकेट, लाइफ गार्ड आदि) उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जायेगा।

4– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **उत्तर प्रदेश नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण नीति–2020 (संलग्नक–1) की प्रति पत्र के साथ इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया उक्त नीति का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।**

संलग्नक–यथोपरि

भवदीया,

(हस्ताक्षर) 07/12/2020

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 901(1)/एक–11–2020 तददिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

2– स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)

(संजय गोयल)

सचिव।

मनोज
08-12-2020

नाविक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले स्वप्रमाणपत्र का प्रारूप

नाव के मालिक का नाम :–

नाविक/मॉझी का नाम :–

पूरा पता :–

मोबाइल नम्बर :–

नाव के निर्माण का वर्ष :–

नाव की लम्बाई :–

नाव की चौड़ाई :–

नाव की गहराई :–

नाव का वजन :–

भार क्षमता (यात्रियों की अधिकतम संख्या) :–

नाव की भार क्षमता का चिन्ह/लोड लाइन नाव में पेन्ट है अथवा नहीं (हॉ/नहीं):–

नाव क्षतिग्रस्त तो नहीं है (हॉ/नहीं):–

यदि हाँ, तो विवरण दें :–

नाविक नाव संचालन में दक्ष है अथवा नहीं :–

नाव की दशा/स्थिति :–

नाव मालिक/नाविक का नाम व हस्ताक्षर

हमारे द्वारा नाव का भौतिक परीक्षण कर लिया गया है तथा नाव को नौवहन के योग्य पाया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र में लेखपाल तथा शहरी या नगरीय क्षेत्र में अधिशाषी अधिकारी/जोनल अधिकारी का प्रति हस्ताक्षर एवं मुहर

ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान तथा शहरी या नगरीय क्षेत्र में पार्षद/सभासद का प्रति हस्ताक्षर एवं मुहर